

# PRESS NOTE MEERUT RANGE

## कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर दिनांक 24.04.2019 सराहनीय कार्य

थाना सैक्टर 20

थाना सैक्टर 20 पुलिस द्वारा कम्पनियों में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 03 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 25 लैपटाप, 06 मोबाइल फोन, 01 कार, चोरी करने के उपकरण तथा अवैध शस्त्र बरामद

दिनांक 24.4.19 को थाना सैक्टर 20 पुलिस द्वारा 03 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 03 अवैध तंमचे 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस व 25 लैपटाप विभिन्न कम्पनियों के, 06 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियों के एवं चोरी करने के उपकरण व चोरियों को करने में प्रयुक्त एक एसेण्ट कार नं0 डीएल 1 जैडबी 1998 ओला कैब बरामद हुयी है। अभियुक्तों द्वारा कई कम्पनियों में चोरी की घटनाओं को करना स्वीकार किया है।

### **अपराध करने का तरीका-**

बरामद लैपटापो व मोबाइलो के संबंध में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम ओला कैब से रात के समय ताला बन्द आईटी कंपनियों का ताला तोडकर अन्दर से लैपटाप, मोबाइल आदि सामान चोरी कर लेते हैं और ओला कैब में रखकर ले जाते हैं तथा लैपटाप, मोबाइलो को नेहरू पैलेस दिल्ली तथा कंप्यूटरों की दुकानों पर फुटकर में बेच देते हैं। अभियुक्त सरफराज शातिर चोर हैं, जो ताला बन्द कंपनियों में घुसकर चोरी करने में माहिर हैं। सरफराज व सतीश दिल्ली में सोनिया विहार पाँचवे पुश्ता पर ढाबा भी चलाते हैं तथा ओला कैब चलाने का भी कार्य करते हैं। ओला कैब चलाने की आड में रात में जिस कंपनी का ताला बन्द देखते हैं सरफराज उस कंपनी में घुस जाता है और सतीश ओला कैब को लेकर आस पास कहीं खड़ा हो जाता है और सरफराज कंपनी के अन्दर से लैपटाप, मोबाइल व अन्य कीमती सामान चोरी कर लेता है। इसके बाद चोरी का माल इसी बरामद ओला कैब में भर के दिल्ली चले जाते हैं और अपने तीसरे साथी विनीत उर्फ बब्बे के साथ मिलकर चोरी किये गये सामान को बेच देते हैं। दिनांक 15/16.4.2019 की रात्रि को बी-17 सैक्टर 6 स्थित एक कम्पनी में इनके द्वारा 15 लैपटाप, 02 पैन ड्राइव, 02 पावर बैंक, 01 प्रोजेक्टर पाइन्टर तथा 07 मोनीटर चोरी किये गये थे जिसमें से 13 लैपटाप, 01 प्रोजेक्टर पाइन्टर, 02 पावर बैंक, 02 पैन ड्राइव बरामद हुए हैं। दिनांक 21/22.4.2019 की रात्रि को सैक्टर 02 स्थित सी-76 व सी-77 स्थित कम्पनियों से 14 लैपटाप तथा 06 मोबाइल फोन चोरी हुए थे, जिसमें से 12 लैपटाप तथा 06 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-**

1. सरफराज पुत्र मो0 यामीन निवासी अमखेडा थाना धामपुर जिला बिजनौर
2. सतीश पुत्र प्रीतम लाल निवासी डब्लूजैड4जी शारदापुरी रमेश नगर थाना कीर्ती नगर दिल्ली
3. विनीत उर्फ बब्बे पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी बी-258 ओल्ड कोंडली थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली

### **बरामदगी का विवरण-**

1. 3 अवैध तंमचे 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस

2. 25 लैपटाप विभिन्न कम्पनियो के,
3. 01 प्रोजेक्टर पाइंटर, 02 पावर बैंक, 02 पैन ड्राइव
4. 06 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियो के।
5. 01 एसेण्ट कार नं0 डीएल 1 जैडबी 1998
6. चोरी करने के उपकरण।

#### **आपराधिक इतिहास अभि0 सरफराज पुत्र मो0 यामीन**

- (1) मु0अ0स0 247 / 17 धारा 457 / 380 भादवि थाना न्यू फ्रेंड्स कालोनी दिल्ली ।
- (2) मु0अ0सं0 9884 / 17 धारा 379 भा0द0वि थाना न्यू उस्मानपुर दिल्ली ।
- (3) मु0अ0सं0 1574 / 18 धारा 457 / 380 / 411 भा0द0वि थाना फेस-3 नोएडा ।
- (4) मु0अ0स0 1257 / 17 धारा 457 / 380 भा0द0वि थाना सैक्टर 20 नोएडा ।
- (5) मु0अ0स0 442 / 19 धारा 457 / 380 / 411 थाना सैक्टर 20 नोएडा ।
- (6) मु0अ0स0 467 / 19 धारा 457 / 380 / 411 थाना सैक्टर 20 नोएडा ।
- (7) मु0अ0स0 468 / 19 धारा 457 / 380 / 411 थाना सैक्टर 20 नोएडा ।
- (8) मु0अ0स0 474 / 19 धारा 25 आयुध अधि0 थाना सैक्टर 20 नोएडा ।

#### **आपराधिक इतिहास अभि0 सतीश पुत्र प्रीतमलाल**

- (1) मु0अ0स0 442 / 19 धारा 457 / 380 / 411 थाना सैक्टर 20 नोएडा ।
- (2) मु0अ0स0 467 / 19 धारा 457 / 380 / 411 थाना सैक्टर 20 नोएडा ।
- (3) मु0अ0स0 468 / 19 धारा 457 / 380 / 411 थाना सैक्टर 20 नोएडा ।
- (4) मु0अ0स0 475 / 19 धारा 25 आयुध अधि0 थाना सैक्टर 20 नोएडा ।

#### **आपराधिक इतिहास अभि0 विनीत उर्फ बब्बे पुत्र रामेश्वर दयाल**

- (1) मु0अ0स0 442 / 19 धारा 457 / 380 / 411 थाना सैक्टर 20 नोएडा ।
- (2) मु0अ0स0 467 / 19 धारा 457 / 380 / 411 थाना सैक्टर 20 नोएडा ।
- (3) मु0अ0स0 468 / 19 धारा 457 / 380 / 411 थाना सैक्टर 20 नोएडा ।
- (4) मु0अ0स0 476 / 19 धारा 25 आयुध अधि0 थाना सैक्टर 20 नोएडा ।

### **थाना इकोटेक 3**

दिनांक 24.04.2019 को थाना इकोटेक 3 नोएडा पुलिस द्वारा चौगानपुर गोल चक्कर के पास से एक अभियुक्त प्रदीप पुत्र राम सिंह नि0 गडिया भोजपुर थाना जवां जिला अलीगढ़ हाल विनोद का मकान ग्राम कुलेसरा थाना इकोटेक 3 जिला गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 05 ग्राम 840 मिलीग्राम नाजायज नशीली गोलियों का पाउडर बरामद किया गया है।

#### **नाम पता अभियुक्त-**

प्रदीप पुत्र राम सिंह निवासी गडिया भोजपुर थाना जवां जिला अलीगढ़ हाल विनोद का मकान ग्राम कुलेसरा थाना इकोटेक 3 जिला गौतमबुद्धनगर।

#### **आपराधिक इतिहास -**

मु0अ0सं0 175 / 2019 धारा 8 / 21 एनडीपीएस एक्ट थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर।

## बरामदगी का विवरण—

05 ग्राम 840 मिली ग्राम नाजायज नशीली गोलियों का पाउडर।

### थाना फेस तृतीय

फेस—3, पुलिस द्वारा दो शातिर वाहन चोर/लूटेरे गिरफ्तार व कब्जे से चार अदद चोरी की मोटर साइकिल व एक अदद तमंचा मय 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस व एक चाकू व 3800 रूपये नगद बरामद

दिनांक 23.04.2019 को दौराने चेकिंग रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास सैक्टर 63 से चोरी की मोटर साइकिल पर सवार तीन शातिर वाहन चोर/लूटेरे 1.मुरारी पुत्र श्री बैजनाथ 2.राहुल पुत्र श्री मदन लाल को मौके से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार दोनो अभियुक्तो के कब्जे से चार अदद मोटर साइकिल व एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस व एक अदद चाकू व 3800 रूपये नगद बरामद किये गये ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:—

1. मुरारी पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम पुररिया थाना मंगलगढ़ जिला समस्तीपुर,बिहार हाल निवासी पप्पू चौधरी का मकान गली न० 2 मामूरा थाना फेस 3 नोएडा
2. राहुल पुत्र मदनपाल निवासी ग्राम सलाई थाना हापुड़ दैहात जिला हापुड़ हाल निवासी ग्राम गढ़ी चौखंडी बिजेन्द्र यादव के मकान में थाना फेस 3 नोएडा

### आपराधिक इतिहास का विवरण:—

1. मु0अ0सं0 473/19 धारा 411/414 भादवि थाना फेस —3 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 474/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना फेस —3 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 475/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस —3 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 55/19 धारा 392/504 भादवि थाना फेस— 3 नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर
5. मु0अ0सं0 467/19 धारा 379 भादवि थाना फेस— 3 नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर
6. मु0अ0सं0 437/19 धारा 379 भादवि फेस— 3 नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर
7. मु0अ0सं0 472/19 धारा 379 भादवि थाना थाना फेस— 3 नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर

### बरामदगी का विवरण:—

1. चोरी की 04 मोटरसाइकिल।
2. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद
3. 01 अदद चाकू बरामद
4. 3800 रूपये नगद बरामद

## प्रेस नोट दिनांक 24.04.2019 जनपद मेरठ

थाना सरधना पुलिस टीम द्वारा मु०अ०स० 291/19 धारा 392 IPC का सफल अनावरण



दिनांक 16.04.2019 को मुकदमा वादी श्री विपिन काम्बोज पुत्र सूरतसिंह निवासी ग्राम रसूलपुर कला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा सूचना दी गयी कि अज्ञात बदमाशो द्वारा उनकी गाडी बैगनआर न० UP 12 AT 2969 रंग सफेद को गंग नहर खतौली सरधना रोड पर सलावा पुल से करीब 1 किमी आगे छीन लिया है और गाडी को लेकर बदमाश भाग गये है इस सूचना पर मैं थानाध्यक्ष मय फोर्स के मौके पर पहुंचा उक्त सूचना पर श्रीमान क्षेत्राधिकारी सरधना, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय भी मौके पर आये मुकदमा वादी से गहनता से पूछताछ की गयी तो घटना स्थल को देखकर व वादी की बातों में तार तरंगता नहीं थी संदिग्ध पाये जाने पर उक्त मुकदमा वादी के टेलीफोन न० व मुकदमा वादी के आने के रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया गया जिसमे मुकदमा वादी का घटना को दिखाना संदिग्ध पाया गया मुकदमा वादी से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो मुकदमा वादी ने इन्शोरेंस पाने व अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उक्त घटना स्वयं कारित करी तथा पुलिस को झूठी सूचना उपलब्ध कराई व मुकदमा से सम्बन्धित बैगनआर कार को खतौली शुगर मील के पास फलाई ओवर के नीचे मुकदमा वादी की निशादेही पर बरामद किया गया जिस पर मुकदमा वादी द्वारा कूट रचना करके

अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अपनी बैगनआर गाडी पर न0 DL 1R TA 3516 की नम्बर प्लेट लगा रखी है मुकदमा वादी के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त –

1-विपिन काम्बोज पुत्र सूरतसिंह निवासी ग्राम रसूलपुर कला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण

1. कार बैगनआर रंग सफेद DL 1 R TA 3516

### अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा मवाना स्टैण्ड के पास से अभियुक्त अंकित पुत्र राजेश नि0 सीएमओ कम्पाउण्ड कालोनी मानसरोवर थाना सिविल लाईन मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद होना । अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिविल लाईन पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

### अवैध मादक पदार्थ सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रेलवे रोड पुलिस द्वारा राम तालिका वाटिका पार्क के पास से अभियुक्त रिजवान उर्फ रज्जू पुत्र इमरान नि0 मौहल्ला ढोलकी महताब सिनेमा के पीछे थाना सदर बाजार मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 200 ग्राम नाजायज चरस बरामद होना । अभियुक्त के विरुद्ध थाना रेलवे रोड पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

## जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.04.19

**गौकशी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से एक जिन्दा गाय व गाय काटने के उपकरण बरामद:-** थाना मसूरी पुलिस द्वारा दिनांक 24.4.19 को समय 1.20 बजे खोचे वाला कब्रिस्तान नहाल मसूरी के पास से अभियुक्त राशीद उर्फ भौंडी पुत्र नजीर निवासी नहाल थाना मसूरी गा0बाद 2- इस्लाम पुत्र याकूब निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से एक जिन्दा गाय व गाय काटने के उपकरण बरामद हुए हैं।

**चोरी के 02 मोबाइल सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-** थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 24.4.19 को समय 5.48 बजे ड मॉल के पास से अभियुक्त सलाऊद्दीन पुत्र अल्लानूर निवासी नगरिया कल्याणपुर जिला बरेली को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

**03 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 02 भैसे कटी हुई व 03 चाकू बरामद:-** थाना मसूरी पुलिस द्वारा दिनांक 24.04.19 को समय 7.00 बजे थाना मसूरी क्षेत्र से अभियुक्त 1-गुलजार पुत्र यामीन कुरैशी निवासी कुरैशियान डासना थाना मसूरी गा0बाद 2-इमरान पुत्र अलीहसन कुरैशी निवासी उपरोक्त 3-चाँद पुत्र असलम कुरैशी निवासी उपरोक्त को भैसे काटते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 02 भैसे व 03 चाकू बरामद हुए हैं।

दिनांक 21.04.19 को ज्ञानखंड-4 में हुई पत्नी व तीनों बच्चों की जघन्य हत्याकाण्ड का खुलासा हत्यारा गिरफ्तार- दिनांक 21.04.19 को स्थानीय पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ज्ञानखंड-4 इंदिरापुरम में तीन बच्चे व एक महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है। जिसके सम्बन्ध में थाना इंदिरापुरम पर मु0अ0सं0-875/19 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया गया।

उक्त हत्याकाण्ड का खुलासा करते हुए थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 23.04.19 को अभियुक्त सुमित कुमार को मणिपाल जिला उडुपी कर्नाटक से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की हैं। जिसके कब्जे/निषादेही पर घटना उपरोक्त से सम्बन्धित आलाकत्ल एक चाकू जो दिनांक 24.04.19 को अभियुक्त द्वारा फँके गये स्थान से व 01 एमआई मोबाईल फोन, 01 बैग, 01 पर्स, 5300/- रुपये, 01 पासपोर्ट व अन्य सामान बरामद हुआ है बरामद चाकू के सम्बंध में थाना स्थानीय पर अ0स0-900/19 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हैं। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान फौरेसिक टीम के द्वारा घटनास्थल से कोल्ड ड्रिंक की बोतल, खून से सने हुए मृतक/अभियुक्त के कपडे कब्जे में पूर्व में ही ले लिये गये थे जिसके सम्बंध में जांच प्रचलित हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1:- सुमित कुमार पुत्र सर्वानन्द सिंह निवासी 79/2/4 रोड न0-6 आदित्यपुर थाना आदित्यपुर टाटा नगर जनपर सराय केला खरसावा झारखण्ड, हाल निवासी म0न0-175बी ज्ञानखंड-4 थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

उक्त हत्या बच्चों के पिता सुमित कुमार द्वारा ही कारित की गयी है। जिसके सम्बंध में अभियुक्त सुमित द्वारा अपने भाई को एक व्हाट्सअप वीडियो बनाकर भेजा गया था जिसमें उसने घटना स्वयं के द्वारा कारित करना कबूल किया है तथा नषे का आदी होना व आर्थिक तंगी से परेषान होकर उक्त कदम उठाने की बात कही गयी है। व्हाट्सअप वीडियो में सुमित कुमार द्वारा यह भी बताया गया हत्या करने से पहले नींद की दवा कोल्ड ड्रिग में मिलाकर अपने परिवार को दी गयी थी तथा वह स्वयं भी पुटेषियन साईनाईट खाकर आत्महत्या करने जा रहा है। उक्त वीडियो में उसने हुकुम मैडिकल स्टोर से पुटेषियन साईनाईट तथा नींद की दवाईया खरीदना बताया गया वीडियो फुटेज के आधार पर औषधि निरीक्षक गाजियाबाद व स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हुकुम मैडिकल स्टोर पर दिनांक 22.04.19 को छापा मारा गया जहा से भारी मात्रा में अवैध/प्रतिबंधित दवाईया मिली तथा मेडिकल स्टोर का लाईसेंस भी बिना नवीनीकरण पाया गया जिसके आधार पर औषधि निरीक्षक द्वारा हुकुम मैडिकल स्टोर के मालिक मुकेश कुमार के विरुद्ध मु0अ0स0-880/19 धारा 419/420 भादवि व मु0अ0स0-881/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट व 18ए/27/32 औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त मुकेश कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त सुमित की गिरफ्तारी हेतु लगायी गयी पुलिस टीम को सटीक सूचना प्राप्त हुई कि फरार अभियुक्त सुमित उडप्पी जिला कर्नाटक में मौजूद है जिस पर थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए उडप्पी पुलिस के सहयोग से अभियुक्त सुमित को गिरफ्तार कर स्थानीय न्यायालय उडप्पी कर्नाटक से 72 घंटे का ट्रान्जिट रिमाण्ड प्राप्त कर अभियुक्त को जनपद गाजियाबाद लाया गया। अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह पिछले 03 माह से नौकरी छूट जाने के कारण काफी परेषान था तथा नषे की लत होने के कारण काफी खर्चा हो रहा था तथा बच्चों की पढाई छूट गयी थी तथा अभियुक्त पर नौकरी छूट जाने के कारण काफी कर्जा हो गया था जिससे परिवार का पालन पोषण सम्भव नहीं हो पा रहा था। इसलिए अभियुक्त ने अपने परिवार की हत्या तथा स्वयं की आत्महत्या करने की योजना बनाई जिसके लिए अभियुक्त ने स्थानीय मार्केट से दिनांक 20.04.19 को एक चाकू खरीदकर लाया तथा दिनांक 20/21.04.19 की रात्रि में चाकू से अपनी पत्नी व तीन बच्चों की गर्दन काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी तथा खून से लथपथ कपडो को बदलकर खून से लथपथ कपडो को घर में ही छोडकर व घटना में प्रयुक्त चाकू को अपने घर के बाहर झाडियों में फैंक कर स्वयं टैक्सी बुक करके दिल्ली रेलवे स्टेशन चला गया था वहा से त्रिवेन्द्रम राजाधानी ट्रेन पकडकर निकल गया और रास्ते में इसने अपने मोबाईल फोन से ब्दमिपवद टपकमव बनाकर अपने भाई को भेज दी थी तथा हुकुम मेडिकल स्टोर से उपलब्ध कराये गये तथाकथित पुटेषियन साईनाईट को खा लिया था चूंकि पुटेषियन साईनाईट नहीं था इसलिए अभियुक्त का आत्महत्या का प्रयास असफल रहा जिसके उपरान्त पुलिस से बचने के उद्देश्य से उडप्पी कर्नाटक में ट्रेन से उतर गया था जहा पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से इंदिरापुरम पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है

अभियुक्त से बरामद सामान विवरण:-

- 1:-01 एमआई मोबाईल फोन
- 2:-01 बैग
- 3:-01 पर्स
- 4:-5300/- रुपये
- 5:-01 पासपोर्ट व अन्य सामान
- 6:-01 चाकू आलाकत्ल

(अ0स0-900/19 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट)

# PRESS NOTE

दिनांक 24.04.2019

## जनपद बागपत पुलिस का सराहनीय कार्य

जनपद बागपत की काईम ब्रान्च व थाना खेकडा पुलिस द्वारा अर्न्तजनपदीय दो लुटेरे गिरफ्तार, लूट की दो घटनाओं का अनावरण तथा इनके कब्जे से लूटी हुई एक मोटर साईकिल व एक तमंचा 315 बोर, एवं एक चाकू नाजायज बरामद—

### ➤ सराहनीय कार्य का संक्षिप्त विवरण—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बागपत महोदय के निर्देशन मे अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत आज दिनांक 24.04.19 को जनपद की काईम ब्रांच व थाना खेकडा पुलिस द्वारा दौराने चौकिंग मुखबिर की सूचना पर बडागांव चैक पोस्ट से 02 अर्न्तजनपदीय लूटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरों के कब्जे से दिनांक 17.04.2019 को थाना खेकडा क्षेत्रान्तर्गत नहर पटरी जंगल ग्राम सैदपुर से मौहम्मद इसरार पुत्र इकरार निवासी रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत से लूटी गयी एक मोटर साईकिल विक्रान्त नं0-यूपी-17एल-7859 व एक तमंचा 315 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा एवं एक चाकू नाजायज बरामद हुआ है। पूछताछ पर गिरफ्तार लुटेरों ने अपने अन्य दो साथी लुटेरों के साथ थाना खेकडा की उक्त घटना के साथ-साथ दिनांक 18.04.2019 को जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी बार्डर क्षेत्रान्तर्गत जोहटी एन्कलेव मेट्रो स्टेशन के पास से एक कार सवार से तीन टिफिन व 40 हजार रुपये लूट कर ले जाने की घटना स्वीकार की है। उक्त लुटेरों के अन्य दो साथियों की तलाश जारी है एवं अन्य जनपदों से इन लुटेरों का अपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है।

### ➤ अनावरण हुई लूट की घटनाओं का विवरण—

- दिनांक 17.04.19 को थाना खेकडा क्षेत्रान्तर्गत नहर पटरी जंगल ग्राम सैदपुर से मो0सा0 सवार दो युवको से एक मो0सा0 विक्रान्त नं0 यूपी 17एल-7859, व 14 हजार रुपये नकद एवं एक लावा कम्पनी का मोबाईल फोन लूटने की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 163/19 धारा 392 भादवि पंजीकृत है।
- दिनांक 18.04.19 को जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी बार्डर क्षेत्रान्तर्गत जोहटी एन्कलेव मेट्रो स्टेशन के पास से कार सवार से तीन टिफिन व 40 हजार रुपये लूटने की घटना करना स्वीकार किया गया। इस समबन्ध मे थाना लोनी बार्डर जिला गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 332/19 धारा 392 भादवि पंजीकृत है।

### ➤ अभियुक्तों का नाम व पता:—

1. राशिब पुत्र महमूद खान निवासी ग्राम निरोजपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2. शाकिर पुत्र मुनफैद निवासी मौहल्ला मुस्तफाबाद निकट जीन्स फैक्ट्री थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

### ➤ बरामदगी:—

- 1.— एक अदद तमंचा 315 बोर मय 2 जिन्दा कारतूस।
- 2.— एक अदद चाकू नाजायज



3.— एक मो०सा० विक्रान्त नं० यूपी 17एल-7859, सम्बन्धित मु०अ०सं० 163/19 धारा 392 भादवि थाना खेकडा जिला बागपत ।

➤ **अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण राशिव व शाकिर**

1.— मु०अ०सं० 163/19 धारा 392 भादवि थाना खेकडा जिला बागपत बनाम राशिब उपरोक्त आदि 04 नफर अभि०गण

2.— मु०अ०सं० 332/19 धारा 392 भादवि थाना लोनी बार्डर जिला गा०बाद बनाम राशिब उपरोक्त आदि 04 नफर अभि०गण

➤ **शस्त्र अधि० मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस नाजायज बरामद ।**

- **थाना रमाला—** पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान जंगल ग्राम बूढपुर से अभियुक्त 1—अंकुर पुत्र मनोज नि० गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद किया गया ।